न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 24/2013
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर। प्रार्थी

बनाम

1. विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री सी.के. शर्मा, जाति ब्राहम्ण निवासी ए–12, आनन्दपुरी जयपुर।
2. दिनेश त्रिपाठी पुत्र श्री रामशंकर त्रिपाठी, निवासी बी–15, गोविन्द मार्ग आदर्श नगर जयपुर।
3. शुभा त्रिपाठी पत्नी दिनेश त्रिपाठी, निवासी बी–15, गोविन्द मार्ग आदर्श नगर जयपुर।

अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 20.03.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री उमेश पुरोहित अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी तहसीलदार जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 व धारा 88 एल.आर.एक्ट 1956 के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम माचवा के खसरा नम्बर 457/1057 मि0 रकबा 4 बीघा जो कि डी.बी सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.04 के बिन्दु संख्या 4 में वर्णित झील, तालाब, जलाशय, नदी व नाले की भूमि हैं, जो याचिका के बिन्दु संख्या 1 व 4 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 व 88 के अन्तर्गत रेफरेन्स योग्य हैं। ग्राम माचवा के खसरा नम्बर 457/1057 मि0 रकबा 4 बीघा की भूमि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015–34 के अनुसार राजकीय खाते में गै0मु0 नदी दर्ज थी। जिसे कालान्तर में नामान्तरण संख्या 1138 दिनांक 14.02.1994 के द्वारा विनिमय आवंटन से खातेदारी दर्ज हुई है। तत्पश्चात स्थानान्तरण होकर उक्त आराजी में नामा0 संख्या 1551 एवं 1556 में वर्तमान खातेदार उनवान अनुसार विजय कुमार शर्मा, डॉ दिनेश त्रिपाठी एवं शुभा त्रिपाठी के नाम दर्ज है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को स्वीकार फरमाकर वर्णित भूमि को राजकीय घोषित करते हुये किस्म भूमि पूर्वानुसार किये जाने के आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर जयपुर के न्यायालय में रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 14.09.2009 को जिला कलक्टर के आदेश कोर्ट/09/14 दिनांक 02.07.2009 की पालना में पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित होकर दर्ज रजिस्टर की गई।

अप्रार्थीगण की तलबी पश्चात अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ तथा जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब में अंकित किया गया है कि आराजी ख0नं0 457 मिन रकबा 8 बीघा एवं ख0नं0 457/1028 रकबा 1.7 बीघा वाके ग्राम माचवा तहसील जयपुर बाबत पूर्व में तहसीलदार जयपुर ने अपने पत्रांक अभिलेख/2007/1841 दिनांक 10.05.2007 को रेफरेन्स न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया था जिसका रेफरेन्स संख्या 237/2007 (310/09) सरकार बनाम शुभा त्रिपाठी व अन्य रहा है, जिसमें मिन प्रार्थीया की ओर से जवाब व लासानी

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

सबूत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नंबर 457/1028/1 ग्राम माचवा भू–अभिलेख क्षेत्र कालवाड तहसील व जिला जयपुर से दिनांक 25.03.1973 में जिलाधीश, जयपुर द्वारा कपूर चन्द कुलिश को बाद बारानी सोयम दर्ज कर आवंटित की गई। कपूर चन्द कुलिश द्वारा भूमि शुभा त्रिपाठी को बेचान कर दी। भूमि आबादी में है। रेफरेन्स में वर्णित खसरे के मूल ख0नं0 457 के संबंध में रेफरेन्स प्रकरण सं0 247/2007 एवं 220/2007 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2008 के तहत रेफरेन्स खारिज किये जा चुके है। विवादित भूमि ख0नं0 457 का ही भाग है एवं दिनांक 23.03.1970 द्वारा गैर मुमकिन नदी के बजाय बारानी सोयम दर्ज पश्चात बेचान की गई। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि के गै0मु0 नदी होने के कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। एक पत्र दिनांक 09.09.2011 कमांक आर–6 (2) मार्ग दर्शन/10/13052 जिला कलक्टर जयपुर द्वारा प्रेषित की गई, जिससे स्पष्ट है कि जिला अभिलेखागार जयपुर में ग्राम माचवा की जमाबन्दी संवत 2015 से पहले की नहीं हैं। ऐसी अवस्था में यह साबित नहीं होता कि 1947 में विवादग्रस्त आराजी नदी नाले की हो। विवाधक विषय बाबत उक्त रेफरेन्स के पूर्व न्यायालय हाजा ने ही रेफरेन्स संख्या 237/2007 (310/09) प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसका निर्णय दिनांक 04.05.2010 को होकर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उक्त भूमि को नदी नाले की बताते हुए पूर्व में रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया था। उक्त रेफरेन्स संख्या 3399/14 का परीक्षण एवं निर्णय करते हुए दिनांक 12.03.2020 को माननीय राजस्व मण्डल ने यह माना है कि "मूल खसरा नम्बर 457 रकबा 138 बीघा में से रकबा 130 बीघा 12 बिस्वा को जिलाधीश जयपुर के आदेश संख्या 2770 दिनांक 20.03.70 से गैर मुमकिन नदी के बजाय सोयम दर्ज किया गया। तत्पश्चात इन भूमियों में से निजी व्यक्तियों एवं राजकीय संस्थाओं जैसे विद्यालय एवं पंचायत समिति आदि को आवंटित की गई है।" पूर्व रेफरेन्स "मूल विषय उक्त भूमि नदी नाले की है एवं पूर्व में पक्षकार तहसीलदार एवं समस्त विपक्षी पक्षकार समान होने के आधार पर एवं पूर्व तहसीलदार जयपुर के रेफरेन्स न मानते हुए एवं भूमि नदी नाले की न मानते हुए बारानी सोयम होने से तहसीलदार का रेफरेन्स किया था। अतः अब तहसीलदार Estoppel (विबन्धन) सिद्धान्त एवं पूर्व निर्णय के आधार पर रेफरेन्स इस स्तर पर ड्राप किये जाने योग्य है।" मूल आवंटन दिनांक 25.03.73 में कपूर चन्द कुलिश को होने के पश्चात मिन आपत्तिकर्ता, जो कि सदभावी क्रेता है तथा रेफरेन्स सरासर मियाद बाहर होने से नाकाबिले प्रेशरफ्त है। अतः पूर्व निर्णय के आधार पर Estoppel (विबन्धन) सिद्धान्त के तहत कानून की बाध्यता अर्थात किसी प्रश्न एक बार विनिश्चय किये जाने के पश्चात बार–बार उसी न्यायालय में विचार नहीं किया जा सकता है, के आधार पर रेफरेन्स को ड्रॉप फरमावें। अधिवक्ता ने अपने जवाब के समर्थन में फोटोग्राफ, टेलीफोन बिल, बिजली बिल आदि पेश किये हैं।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई प्रस्तुत रेफरेन्स पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने कथन किया की ग्राम माचवा के खसरा नम्बर 457/1057 मिसल बन्दोबस्त संवत् 2015–34 के अनुसार भूमि किस्म गै0मु0 नदी दर्ज थी, जो आंवटन योग्य नही थी ओर ना ही गै0मु0 नदी की भूमि को किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। विवादित भूमि गै0मु0 नदी के बजाय बारानी सोयम दर्ज होने के उपरान्त खातेदारी में दर्ज हुई। पैरोकार सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय के प्रदत्त निर्देशानुसार 15 अगस्त, 1947 को जो भूमियाँ नदी, नाले, उपनदी, झील, तालाब, तलाई इत्यादि में आती थी, को पुनः वास्तविक स्थिति में लाने हेतु राजकीय भूमि घोषित किये जाने के निर्देशानुसार प्रश्नगत भूमि बाबत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण सम्मानित नागरिक हैं। विचाराधीन भूमि 1973 से आंवटित है तथा अप्रार्थीगण भूमि पर 50 वर्षों से काबिज है। भूमि आवंटन से प्राप्त हुई है। जिलाधीश जयपुर के आदेश क्रमांक 2770/आरए–II दिनांक 20.03.1970 द्वारा गै0मु0 नदी के बजाय बारानी सोयम दर्ज किया गया। तत्पश्चात भूमि निजी व्यक्तियों को एवं हॉस्पीटल,

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

पंचायत आदि को भी भूमि आवंटित की गई तथा वर्तमान में कॉलोनी बस चुकी है। विचाराधीन आराजीयात के संबंध में पूर्व में रेफरेन्स प्रकरण सं0 247/2007 एवं 220/2007 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2008 के तहत रेफरेन्स खारिज किये जा चुके है। विवादित भूमि ख0नं0 457 का ही भाग है एवं दिनांक 20.03.1970 द्वारा गैर मुमकिन नदी के बजाय बारानी सोयम दर्ज पश्चात बेचान की गई। अब्दुल रहमान बनाम सरकार के परिपेक्ष्य में प्रार्थी तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि के गै0मु0 नदी होने के कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किये हैं, जिससे उक्त भूमि वर्ष 1947 में गैर मुमकिन नदी के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं हो। जिला कलक्टर, जयपुर के पत्र दिनांक 09.09.2010 में जिला अभिलेखागार जयपुर में ग्राम मथावा की जमाबन्दी संवत 2015 से पहले की नहीं है का अंकन किया गया है। अतः यह साबित नहीं होता कि 1947 में विवादग्रस्त आराजी नदी खाते की हो। पूर्व में प्रस्तुत रेफरेन्स 237/2007 (310/09) का परीक्षण एवं निर्णय करते हुए दिनांक 12.03.2020 को माननीय राजस्व मण्डल ने कुल खसरा नम्बर 457 रकबा 138 बीघा में से रकबा 130 बीघा 12 बिस्वा को जिलाधीश जयपुर के आदेश संख्या 2770 दिनांक 20.03.70 से गैर मुमकिन नदी से बजाय सोयम दर्ज होने के उपरान्त निजी व्यक्तियों एवं राजकीय संस्थाओं को आवंटित होने का अंकन किया गया है। अतः पूर्व निर्णय के आधार पर Estoppel (विबन्धन) सिद्धान्त के तहत कानून की बाध्यता अर्थात किसी प्रश्न पर एक बार विनिश्चय किये जाने के पश्चात बार-बार उसी न्यायालय में विचार नहीं किया जा सकता है, के आधार पर रेफरेन्स को ड्रॉप फरमावें।

अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख किया है।

हम प्रार्थी तहसीलदार जयपुर हाल कालवाड के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात, साक्ष्यों, बहस पैरोकार सरकार, अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात, साक्ष्यों, बहस, पूर्व निर्णय एवं राजस्व मण्डल के निर्णय का अवलोकन मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि विवादित आराजी 457/1057 मिन रकबा 4 बीघा तत्कालीन मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015-34 के अनुसार राजकीय खाते में गै0मु0 नदी दर्ज थी और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत गै0मु0 नदी दर्ज होने के कारण उक्त आवंटन/नियमन हेतु प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है। इसलिये उक्त भूमि आवंटन योग्य नहीं थी, फिर भी अप्रार्थीगण को उक्त भूमि जरिये आवंटन आदेश 2770 दिनांक 20.03.70 के द्वारा आवंटित हो गई जिसका नामान्तकरण संख्या 1138 के द्वारा दिनांक 14.02.1994 दर्ज किया गया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि आवंटन नियमों के अनुसार प्रतिबंधित होने पर भी आवंटन की गई जो नियमानुसार नहीं था। इसलिए उक्त भूमि इस रेफरेन्स की परिधि में आती है। चूंकि अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय न्यायालय के निर्णय में यह निर्देश दिये हैं कि जो भी भूमि झील, तालाब, जलाशय, नाडी, नदी व नाले दर्ज है, उसको उसी रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और ऐसी भूमि की अंतिम कट ऑफ दिनांक 15 अगस्त 1947 है, जिसको आधार माना जावे। चूंकि भूमि संवत् 2015-34 में गै0मु0 नदी दर्ज थी, जो अब्दुल रहमान से संबंधित निर्णय के दायरे में आती है ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 20.03.70 द्वारा किस्म परिवर्तित की अवैध हो जाती है। अर्थात आवंटन/नियमन हेतु प्रतिबंधित है तथा रेफरेन्स के अन्तर्गत आती है। लिहाजा प्रार्थी तहसीलदार जयपुर हाल कालवाड का रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है, तथा तहसीलदार जयपुर हाल कालवाड को निर्देश दिये जाते है कि 3 महिने में माननीय राजस्व मण्डल में नियमानुसार रेफरेन्स दर्ज करवाना सुनिश्चित करें और जबतक विवादित भूमि की रिकार्ड एवं मौके की स्थिति को यथावत बरकरार रखें। यह तहसीलदार कालवाड की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक **20.03.2023** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)

[illegible]